



भारत सरकार
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
मध्य क्षेत्रीय कार्यालय,
सामान्य 'अ' अनुभाग
सेमिनरी हिल्स, नागपुर - 440 006

पत्र क्रमांक 439/ Annual Medical Examination / सामान्य 'अ' दिनांक : 21/02/2019

परिपत्र

विषय: समूह 'क' राजपत्रित अधिकारियों के वार्षिक चिकित्सा परीक्षण के संबंध में।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश क्रमांक 21011/1/2009-Estt(A)-Part, दिनांक 01/02/2012 द्वारा समूह 'क' राजपत्रित अधिकारी, जो 40 अथवा 40 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें वार्षिक चिकित्सा परीक्षण (Annual Medical Examination) कर कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अतः अपने संबंधित के.स.स्वा.यो. औषधालय अथवा पंजीकृत चिकित्सालयों द्वारा/के.स.स्वा.यो. न होने पर CSMA में पंजीकृत (CGHS/CGHS recognized hospital/hospital recognized under CSMA, in case non CGHS cities) इस कार्यालय के निर्देश-पत्र के माध्यम से स्वयं का चिकित्सा परीक्षण करवा कर संबंधित रिपोर्ट 31/03/2019 तक कार्यालय में प्रस्तुत करें। परीक्षण के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज साथ रखें:

1. 2000/-रु .नगद (महिलाओं हेतु 2200/-रु.)
2. कार्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र।
3. मेडिकल रिपोर्ट फॉर्म।
4. के.स.स्वा.यो. कार्ड।

बिश्वजित गंगोपाध्याय
(बिश्वजित गंगोपाध्याय) 21/2/19
निदेशक एवं कार्यालयाध्यक्ष
कृते अपर महानिदेशक एवं विभागाध्यक्ष
भा.भू.स., मध्य क्षेत्र, नागपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ : समस्त उप महानिदेशक, राज्य इकाई/मिशन/प्रभाग/अनुभाग प्रमुख, भा.भू.स., मध्य क्षेत्र, नागपुर